न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री बीरबल सिंह शेखावत, आर.ए.एस.
अपील संख्या : 553/2018

1. जोधाराम पुत्र चतरू
2. जीतालाल पुत्र चतरू
3. नारायण पुत्र भोरया
4. रमेश पुत्र भगवान सहाय
5. राजू पुत्र भगवान सहाय
6. रामखिलाडी पुत्र भगवान सहाय
7. गिर्राज पुत्र भगवान सहाय
8. लालचन्द पुत्र देवा
9. जगदीश पुत्र देवा

समस्त जाति मीणा, निवासीः ग्राम केलावाला, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

——अपीलार्थीगण

बनाम

1. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, जिला जयपुर।
2. श्रीमान् भू प्रबंध अधिकारी, जिला जयपुर।
3. पूनीराम पुत्र भैरू
4. रामगणेश पुत्र भैरू
5. ग्यारसा पुत्र बालू
6. कालू पुत्र बालू
7. रामसहाय पुत्र श्योनारायण
8. प्रहलाद पुत्र श्योनारायण

समस्त जाति मीणा, निवासीः ग्राम केलावाला, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

9. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी, जिला जयपुर।

—— रेस्पोडेन्ट्स

<u>अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 11.06.2018 न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी, जिला जयपुर वाद संख्या 23/2015 उनवानी जोधाराम व अन्य बनाम जिला कलक्टर व अन्य अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

उपस्थितः

श्री ताराचन्द मीणा एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण
श्री कुलदीप किशोर शर्मा एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 3 ल. 6 व 8
श्री जी.एल. मीना एडवोकेट
राजकीय पैरोकार

निर्णय दिनांकः 13/01/2020

—: निर्णय :—

1. अपीलान्ट की ओर से एक अपील न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी, जिला जयपुर के वाद संख्या 23/2015 बउनवानी जोधाराम व अन्य बनाम जिला कलक्टर व अन्य में पारित निर्णय डिक्री दिनांक 11.06.2018

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

Scanned by CamScanner

के विरूद्व अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण के हकपूर्वाधिकारी गोविन्दराम संवत् 1987 के तत्कालीन खसरा नंबर 6 रकबा 85 बीघा 15 बिस्वा में से हिस्सा 1/2 के असली खातेदार काश्तकार थे तथा उक्त भूमि पर कदीम से काबिज चले आ रहे थे। इस तथ्य का अंकन मिसल हकीयत बंदोबस्ती मौजा केलावाला तहसील व निजामत सवाई जयपुर सवंत् 1987 की नंबर खतौनी 3 के अंतर्गत विद्यमान है। मौजा केलावाला का संवत् 2015 में भूप्रबन्ध सम्पन्न हुआ उस भूप्रबन्ध के दौरान ग्राम का मिलान क्षेत्रफल नहीं बनाया अपितु खसरा में रकबा आया–गया किया गया। साबिक खसरा नंबर 6 के बटे नंबर 6/4 का रकबा 5 बीघा तथा 6/1/240 का रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा कुल 8 बीघा 5 बिस्वा की खातेदारी वादीगण संख्या 1 लगायत 3 के हकपूर्वाधिकारी भौरया पुत्र गोविन्दा के नाम खतौनी भूप्रबन्ध संवत् 2015 के नंबर खाता 35 के अंतर्गत दर्ज की गई तथा 6/2 का रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा तथा 6/1/239 का रकबा 10 बीघा 5 बिस्वा कुल 14 बीघा 18 बिस्वा की खातेदारी वादीगण संख्या 4 लगायत 9 के हक पूर्वाधिकारी देवा पुत्र गोविन्दा के नाम खतौनी भूप्रबन्ध संवत् 2015 के नंबर खाता 27 के अंतर्गत दर्ज की गई। इस प्रकार गत खसरा नंबर 6 के रकबा 85 बीघा 15 बिस्वा के हिस्सा 1/2 की 42 बीघा 18 बिस्वा की जगह 22 बीघा 13 बिस्वा भूमि वादीगण के हक पूर्वाधिकारियों के नाम खातेदारी में दर्ज की गई, शेष 20 बीघा 5 बिस्वा भूमि खसरा नंबर 6/1 का रकबा 60 बीघा में शामिल कर उसे खतौनी भूप्रबन्ध संवत् 2015 के नंबर खाता 50 में दर्ज कर उसे मकबूजा ठिकाना लगानी के हक में अंकित कर दिया। इस प्रकार के अवैध अंकन करने का अधिकार भूप्रबन्ध विभाग को प्राप्त नहीं था। ग्राम केलावाला का भूमि एकीकरण संवत् 2019 में सम्पन्न हुआ। भूमि एकीकरण के अधिकारियों ने गत खसरा नंबर 6/4 की 5 बीघा भूमि को भूमि एकीकरण में बने खसरा नंबर 20 रकबा 16 बीघा 2 बिस्वा में शामिल कर उसे खतौनी भूमि एकीकरण के नंबर खाता संख्या 25 में रामदेव पुत्र ईशरा के नाम खातेदारी में दर्ज कर दिया तथा गत खसरा नंबर 6/1/240 के दो बटे नंबर बनाकर 6/1/240/2 की 10 बिस्वा को भूमि एकीकरण में बने खसरा नंबर 65 रकबा 15 बीघा 6 बिस्वा में शामिल कर उसे खतौनी भूमि एकीकरण के नंबर खाता 36 में श्योनारायण बालू पि. चन्द्रा के नाम खातेदारी में दर्ज कर दिया। इसके अलावा गत खसरा नंबर 6/1/239 की 10 बीघा 5 बिस्वा 6/2/2 की 5 बिस्वा, 6/1/2 मिन की 3 बीघा 9 बिस्वा कुल 13 बीघा 19 बिस्वा को भूमि एकीकरण मे बने खसरा नंबर 21 रकबा 13 बीघा 19 बिस्वा में शामिल कर उसे खतौनी भूमि एकीकरण के नंबर खाता 7 में वादीगण के हकपूर्वाधिकारी देवा पुत्र गोविन्दा के नाम खातेदारी में दर्ज कर दिया तथा गत खसरा नंबर 6/1/240 के दो बटे नंबरों में से 6/1/240/1 की 2 बीघा 15 बिस्वा को भूमि एकीकरण में बने खसरा नंबर 64 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा में शामिल कर उसे खतौनी भूमि एकीकरण के नंबर खाता संख्या 17 में वादीगण के हकपूर्वाधिकारी भौरया पुत्र गोविन्दा के नाम खातेदारी में दर्ज कर दिया। इस प्रकार संवत् 2015 के बंदोबश्त में तो संवत् 1987 के मुकाबले 20 बीघा 4 बिस्वा भूमि कम दर्ज कर दी गयी। इस प्रकार संवत् 187 में दर्ज 42 बीघा 18 बिस्वा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

Scanned by CamScanner

भूमि की जगह संवत् 2019 के भूमि एकीकरण तक वादीगण के हक पूर्वाधिकारियों के नाम 26 बीघा 4 बिस्वा भूमि खातेदारी में कम दर्ज कर दी गई। इस प्रकार के अवैध अंकन करने का अधिकार ना तो भूप्रबन्ध विभाग को प्राप्त था, ना ही भूमि एकीकरण विभाग को प्राप्त था। उपरोक्तानुसार किये गये अवैध अंकन को वादीगण दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। उपरोक्त अवैध अंकन धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के भी विपरीत किया गया है। संवत् 1987 से 2015 तक तथा 2015 से 2019 तक और उसके पश्चात् वर्तमान तक पहले वादीगण के हकपूर्वाधिकारियों का और उनकी मृत्यु के पश्चात् वादीगण का 42 बीघा 18 बिस्वा भूमि पर लगातार कब्जा काश्त चला आता रहा है और समय–समय पर उपरोक्त भूमि का लगान भी सरकार को जमा कराते आ रहे है जो 26 बीघा 4 बिस्वा भूमि का लगान भी सरकार को जमा कराते आ रहे है उसे भूमि एकीकरण में बने खसरा नंबर 22 रकबा 160 बीघा 3 बिस्वा को खाता संख्या 37 सिवायचक लगानी में शामिल किया गया है जिस पर वादीगण काबिज काश्त है जिसे वादपत्र के साथ फर्द दस्तावेज में संलग्न राजस्व नक्शे में मार्क ए.बी.सी.डी.ई.एफ.जी के मध्य नजरी रूप से दर्शाया गया है। प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 8 वादीगण से द्वेष रखते है। वर्तमान खसरा नंबर 22 भूमि राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक लिखी होने का नाजायज फायदा उठाते हुये, वे वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि में से जबरिया वृक्षों की टहनियों को काटकर ले जाते है। वादीगण ने जब मना किया तो प्रतिवादीगण झगडे पर आमादा हो गये। इस कारण वादी को यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ है। वादीगण ने वाद के अन्य बिन्दुओं के साथ वाद कारण अंकित करते हुये यह अनुतोष चाहा है कि वादीगण वाद विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर ग्राम केलावाला तहसील बस्सी, जिला जयपुर के अंतर्गत 1987 की मिसल हकीयत बंदोबस्ती के अंतर्गत वादीगण के हकपूर्वाधिकारी गोविन्दराम के नाम तत्कालीन खसरा नंबर 6 रकबा 85 बिस्वा के हिस्सा 1/2 की 42 बीघा 18 बिस्वा के मुकाबले संवत् 2015 के भूमि बंदोबश्त में वादीगण के हक पूर्वाधिकारियों के नाम 20 बीघा 5 बिस्वा खातेदारी में कम अंकितकी गई तथा संवत् 2019 के भूमि एकीकरण तक 26 बीघा 4 बिस्वा भूमि उनकी खातेदारी में कम दर्ज कर उसे भूमि एकीकरण में बने खसरा नंबर 22 रकबा 160 बीघा 3 बिस्वा में शामिल कर दिया गया, उस 26 बीघा 4 बिस्वा भूमि जिसे राजस्व नक्शे में ए.बी.सी.डी.ई.एफ.जी के मध्य दर्शाया गया है, के वादीगण खातेदार काश्तकार है तथा इसी प्रकार का अंकन संबंधित जमाबंदी में करने का आदेश तहसीलदार बस्सी को जारी किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे भूमि वादग्रस्त पर वादीगण के शांतिपूर्ण उपयोग उपभोग एवं कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी/मजाहमत ना तो स्वयं करे ना ही अन्य से करावे एवं वादीगण को मौके से बेदखल करने की कोई कार्यवाही नहीं करे। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वकील पक्षकारान की बहस सुनकर बाद बहस मनन दिनांक 11.06.2018 को वादी का वाद खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई, रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब होने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील अपीलार्थी ने अपनी बहस मे मुख्यतः यह कथन किये कि अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष कब्जे के संबंध में खसरा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

Scanned by CamScanner

गिरदावरियां एवं खसरा परिवर्तनशील एवं इसके अलावा मौके की फोटो प्रस्तुत की थी लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने कब्जे के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौके के फोटो का अवलोकन किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय गलत पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत में मात्र आंकडे बढाने के उद्देश्य से मनमाने ढंग से वादी के वाद के तथ्यों को समझे बिना ही अपीलाधीन निर्णय के माध्यम से वादी का वाद खारिज किया है, जो गलत है। इस कारण अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.06.2018 खारिज फरमाया जावे। अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर.बी.जे. 2001 पेज 170, आर.आर.टी 2004 (1) पेज 96, आर.आर.टी 2013 (1) पेज 226 पेश किये। वकील रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलार्थी के कथनों का खंडन करते हुये बताया कि विवादग्रस्त आराजीयात पर अपीलान्ट्स का कब्जा नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के गहन परीक्षण पश्चात् साक्ष्य सबूत के आधार पर सही निर्णय पारित किया है। अपीलार्थी ने आधारहीन तथ्यों पर अपील प्रस्तुत की है। इस कारण अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

4. वकील उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वाद अवलोकन यह पाया कि वादीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादग्रस्त आराजीयात के संदर्भ में घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया, जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 11.06.2018 के माध्यम से खारिज फरमा दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात के समुचित अवलोकन पश्चात् पाया गया कि मिसल हकीकत संवत् 1987 को देखने से स्पष्ट है कि मिसल हकीकत सवाई जयपुर मौजा केलावाला में खसरा नंबर 6 रकबा 85 बीघा 15 बिस्वा के कॉलम संख्या 3 नाम खातेदार के स्थान पर वादीगण के पूर्व हक अधिकारी गोविन्दराम वल्द बुलशा एवं अन्य खातेदार रामदेवा वल्द ईसरा कौम मीणा के बहिस्सा बराबर–बराबर खुदकाश्त में दर्ज है। जिसके पश्चात् संवत् 2015 में सैटलमेन्ट कार्यवाही के दौरान वादीगण संख्या 1 लगायत 3 के हक पूर्वाधिकारी भौरया पुत्र गोविन्दा के नाम खसरा नंबर 6/4 रकबा 5 बीघा व खसरा नंबर 6/1/240 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा कुल 8 बीघा 5 बिस्वा भूमि खाता संख्या 35 के अंतर्गत एवं वादी संख्या 4 लगायत 9 के हक पूर्वाधिकारी देवा पुत्र गोविन्दा के नाम खसरा नंबर 6/2 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा व खसरा नंबर 6/1/239 रकबा 10 बीघा 5 बिस्वा कुल 14 बीघा 18 बिस्वा भूमि खाता संख्या 27 के अंतर्गत दर्ज की गई। जिसके उपरान्त संवत् 2019 में भूमि एकीकरण की कार्यवाही हुई। मिलान क्षेत्रफल व खतौनी बंदोबश्त के अवलोकन पश्चात् पाया गया कि वादीगण के हक के साबिक खसरा नंबर 6/4 रकबा 5 बीघा को हाल खसरा नंबर 20 में शामिल किया गया जो कि खाता संख्या 25 में अन्य खातेदार रामदेव पुत्र ईशरा के नाम दर्ज किया गया है। इसी प्रकार गत खसरा नंबर 6/1/240 के दो बटे बनाकर 6/1/240/2 रकबा 10 बिस्वा को नये खसरा नंबर 65 में शामिल कर अन्य खातेदार के नाम अंकन किया गया। साबिक खसरा नंबर 6/2 के बटे नंबर बनाकर 6/2/1 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा भूमि को नये खसरा नंबर 20 में शामिल रामदेव पुत्र ईशरा के नाम दर्ज किया गया। जबकि तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट में उपरोक्त तथ्यों के विपरीत तथ्यात्मक रिपोर्ट अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों को किसी दस्तावेजात मिलान क्षेत्रफल, खतौनी से साबिक

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

Scanned by CamScanner

रकबे व वर्तमान रकबे को रकबा बरारी करके सिद्ध नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा प्रेषित रिपोर्ट उपरोक्त तथ्यों से विरोधाभास होने व प्रकरण के अन्य विस्तृत तथ्यों का निराकरण तथ्यात्मक रिपोर्ट में न किये जाने से त्रुटिपूर्ण प्रतीत होती है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाबदावा प्रस्तुत दावे के तथ्यों का खंडन किया गया है ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय को वास्तविक तथ्यात्मक स्थिति तक पहुंचने के लिये, तनकीयात विरचित कर, उभयपक्षकारान की साक्ष्य ग्रहण कर, तहसीलदार से विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट ली जाकर दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर तनकीवार निर्णय पारित किया जाना चाहिये था। किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सी.पी.सी. के आदेश 20 नियम 5 के प्रावधानों के विपरीत, विधिक प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया गया है। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण पर पूर्णतः चस्पा होते है। उपरोक्त विवेचन अनुसार स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गलत निर्णय पारित किया गया है। फलस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य पायी जाती है।

5. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी, जिला जयपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.06.2018 खारिज किया जाता हैं। अधिनस्थ न्यायालय को पत्रावली प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि तहसीलदार से दस्तावेजात के आधार पर व ऊपर वर्णित विवेचन अनुसार विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त कर, तनकीयात विरचित कर, उभयपक्षकारान की साक्ष्य ली जाकर, रिपोर्ट व दस्तावेजात को दृष्टिगत रखते हुये गुणावगुण पर तनकीवार निर्णय पारित करे। पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ प्रतिप्रेषित की जावे। उभयपक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 10.02.2020 को उपस्थित होवे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 13.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

Scanned by CamScanner